प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.09.23

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध गांजा की तस्करी/बिक्री करने वाला 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 05 किलोग्राम गांजा बरामद।

दिनांकः 31/08/2023 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना खोडा क्षेत्र के इतवार पुश्ता से 01 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गयी है, जिसके कब्जे से 05 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त अमन उर्फ लाला पुत्र सेवाराम जाटव नि0 झुग्गी न0 305 भौवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र लगभग 19 वर्ष ने बताया कि साहब मैं दिल्ली से गांजा खरीद कर लाता हूं तथा नोएडा, गाजियाबाद व दिल्ली में छोटी-छोटी पुडियां बनाकर बेंच देता हूं।

मैं पिछले 3-4 वर्षो से यह काम कर रहा हूं इससे मिले मुनाफे से मैं अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं व अपने निजी शौक पूरे करता हूं। यह गाँजा मैं फुटकर में बेचने के लिए दिल्ली से लाया था और पकडा गया।

अभियुक्तगण से पूछताछ पर मिली जानकारी के आधार पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर दबिशें दी जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

अमन उर्फ लाला पुत्र सेवाराम जाटव नि0 झुग्गी न0 305 भौवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र लगभग 19 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

05 किलोग्राम गांजा

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभि0 अमन उर्फ लाला के विरूद्ध थाना कौशाम्बी पुलिस कमिश्नरेट गा0बाद पर एन0डी0पी0एस0 एक्ट के 03 मुकदमें दर्ज है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना इन्दिरापुरम पुलिस गाजियाबाद टीम के द्वारा PAYTM से साइबर फ्राड करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन व 17 सिम व 94500 रु नगद , 3 अलग अलग व्यक्तियों के आधार कार्ड व एक मोटर साइकिल बरामद ।

वादी श्री इतवारी लाल पुत्र सीताराम निवासी ग्राम प्रहलाद गढी , थाना इन्दिरापुरम छोल कुल्चे की ठेली लगाने वाले से अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 9/8/23 को धोखे से वादी का मोबाइल PAYTM की KYC के लिये लेकर - 95780/-रु0 का PAYTM से LOAN कराने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया

गया था। उक्त प्रकरण मे दिनांक 31.08.2023 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेड लाईट प्रहलादगढी के पास से अभियुक्त मनोज कुमार यादव पुत्र रामकिशन यादव को गिरफ्तार किया ।

<u>पूछताछ का विवरण</u> - अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया की वह पेटीएम का कर्मचारी बता कर पेटीएम KYC के नाम पर पेटीएम स्केनर रखने वालो से उनका मोबाईल फोन लेकर उनके पेटीएम से लोन ले लेता हूँ । और चुपके से उनका सिम बदल देता हूँ । बदले सिम से मनी ट्रांसफर करने वाले दुकानदारो के खाते मे पैसा डालकर कमिशन देकर नगद पैसे ले लेता हूँ । कब्जे से सम्बन्धित **94500 रु नगद , 17 सिम , 3 मोबाईल फोन. 3 अलग-अलग व्यक्तियों के आधार कार्ड व एक मोटर साइकिल** बरामद किया गया है ।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त</u>

मनोज कुमार यादव पुत्र रामकिशन यादव उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम निधऊ थाना निधऊ जिला अलीगढ तथा हाल पता –गली न0- 31 रघुराज जाट का मकान मण्डोली दिल्ली ।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

घटना से सम्बन्धित 94500 रुपये नगद , 3 अदद मोबाइल फोन , 17 सिम ,3 अलग अलग व्यक्तियों के आधार कार्ड व एक मोटर साईकिल ।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त गण</u>

- थाना इन्दिरापुरम पर साईबर फ्राड का 01 अभियोग

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना इन्दिरापुम पुलिस टीम